जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 11.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 588/25 धारा 351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.07.2025 को आवेदक हिमांशु कश्यप की इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड की गई एक वीडियो पर naved2.ox नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष बिजनौर को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कमेंट किया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर दिनांक 09.07.2025 को मु0अ0सं0 588/25 धारा 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

इंस्टाग्राम आईडी की प्रोफाइल पिक्चर पर नावेद पुत्र शमशाद निवासी असौदा जनपद हापुड़ की फोटो लगी थी। नावेद से पूछताछ की गई तो उसकी आईडी किसी और के द्वारा बनाया जाना और ऑपरेट करना बताया गया।

उक्त क्रम में अग्रिम जॉच में इंस्टाग्राम / मेटा प्लेटफार्म से आईपी एड्रेस और उपयोगकर्ता की जानकारी मांगी गई तो प्रतिउत्तर में कंपनी द्वारा अकाउंट डिटेल्स प्रदान की गई जिसमे उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट का क्रिएशन ईमेल coinjagran@gmail.com से करना और प्रयोग के समय का आईपी एड्रेस प्राप्त हुआ। तदोपरांत संबंधित ईमेल आईडी और आईपी अड्रेस को गूगल और टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी को प्रेषित किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ईमेल आईडी को जिस मोबाइल नंबर से बनाया गया और टेलीकॉम प्रोवाइडर से प्राप्त आईपी एड्रेस दोनों एक ही व्यक्ति फ़ैज़याब पुत्र जफरयाब के प्राप्त हुए ।

उक्त संबंध में जब फ़ैज़याब से जानकारी की गई तो उसके फ़ोन में संबंधित इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी लॉगिन मिली और निरंतर प्रयोग की जा रही थी।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट का वास्तविक उपयोगकर्ता फ़ैज़याब पुत्र जफरयाब निवासी मोहल्ला जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर है । 'उसने स्वयं को बचाने के लिए नावेद उपरोक्त की क्लोन प्रोफाइल तैयार किया था।

यह भी अवगत कराना है कि फ़ैज़याब और नावेद दोनों एक ही कॉलेज आईआईएमटी मेरठ के छात्र है।

कार्यवाही का विवरण–

आज दिनांक 11.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैजयाब पुत्र जफरयाब निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

को गिरफ्तार किया गया है तथा नावेद की फ़र्ज़ी आईडी बनाने के लिए उसके विरुद्ध एक और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है ।

अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अभियुक्त फैजयाब पुत्र जफरयाब निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 बब्लू सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.महिला उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.महिला आरक्षी 1873 रेखा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर दिनांक 11-07-2025

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इमरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम जोगीरमपुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 181/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

इमरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम जोगीरमपुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 इमरान उपरोक्त-

1.मु0अ0स0 90/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 91/2022 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 151/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 162/2016 धारा 379/511 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 273/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 138/2019 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबावाद जनपद बिजनौर
7.मु0अ0स0 12/2017 धारा 25 आयुध अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 181/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. का0 1276 राहुल यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. का0 1858 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर